अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 357/2012

राम किसुन दास एवं अन्य — अपीलार्थीगण

वनाम

राज्य एवं अन्य — रेस्पोण्डेन्ट्स

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी रामकिसुन दास द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, वीरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकः 10.07.2012 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 37/12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि 14 कट्ठा 13 भूमि के निश्वत स्व० भूटकुन दास के नाम से जमाबंदी संख्याः 1095 चलती है जो कि दिनांकः 28.04.2011 को दुःखी बिरजी के द्वारा अपीलार्थी के दादा के नामे क्रियान्वित निबंधित केवाला से भी स्पष्ट होगा। Hindu Succession Act, 1956 एंव संशोधित अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि पर स्व० भूटकुन दास के सभी पुत्रों एवं उनकी विधवा स्त्री का हक वो दखल कायम हुआ। संशोधित अधिनियम के अनुसार उक्त भूटकुन दास की पुत्रियॉं भी अपने भाईयों के साथ बराबर हिस्सेदार होना बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि सम्मिलित हिन्दु संपत्ति में हिन्दु महिला के संपत्ति पर अधिकार के अनुसार हिन्दु परिवार के विधवा स्त्री का भी संपत्ति पर बराबर का अधिकार है वो इस स्थिति में चिचाय दास के सबसे बड़े पुत्र द्वारा रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष के नाम अपने हक हिस्से से ज्यादा की भूमि के निश्वत निबंधित केवाला क्रियान्वित किया गया है यहॉं तक की उस भूमि को भी उनके द्वारा बेच दिया गया है जिसपर अपीलार्थी का आवासीय मकान है एवं जिसपर स्व० चिचाय दास की सभी चार पुत्रियॉं एवं उनकी विधवा बराबर की हिस्सेदार हैं। निम्न न्यायालय द्वारा केवल किसन दास जो कि स्व० चिचाय दास के सबसे बड़े पुत्र हैं के

द्वारा क्रियान्वित केवाला संख्याः 3240 दिनांकः 09.07.08 के आधार पर ही आदेश पारित किया गया है जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

दूसरी ओर रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट द्वारा मौजा– भवानीपुर,, थाना–प्रतापगंज, जिला–सुपौल, थाना नं०–151, तौजी नं०–3885 अंतर्गत खाता सं०–335/ 2011 (नया), खेसरा सं०–2551 (पु०), 7153 नया, रकवा– 1 कट्ठा जिसकी चौहद्दी उत्तर–ईट सोलिंग सड़क, दक्षिण–निज, पुरब– रेसम दास एवं पश्चिम– निज भूमि है को दिनांकः 09.07.2008 को कुल निर्धारित जरसम्मन की राशि बिक्रीकर्त्ता को अदाय कर भूमि क्रय किया गया तदोपरांत बिहार सरकार सिरिस्ते में रेस्पोण्डेन्ट के नाम से कुल रकवा– 1 कट्ठा खरीदगी भूमि के निश्वत जमाबंदी संख्याः 3597 कायम हुआ। जमाबंदी के आधार पर रेस्पोण्डेन्ट द्वारा रेन्ट बील का अद्यतन भुगतान किया जाता रहा है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि पुराना खाता संख्याः 335, एवं पुराना खेसरा संख्याः 2551 का कुल रकवा– 16 कट्ठा भूमि भूटकुन दास की भूमि थी, जो अपने पीछे अपने पुत्र क्रमशः चिचाय दास एवं राम प्रसाद दास को छोड़कर स्वर्गवासी हो गये। दोनों पुत्रों को पुराना खाता संख्याः 335, पुराना खेसरा संख्याः 2551 की भूमि में प्रत्येक को 8 कट्ठा भूमि आपुसी बंटवारे में प्राप्त हुआ जिस पर दोनों भाई हकदार वो दखलकार हुए बतलाते है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि राम प्रसाद साह ने अपने जीवित रहते हुए ही एक लड़के सिया दास को गोद लिया जो राम प्रसाद की भूमि पर दखल प्राप्त करना बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि चिचाय दास अपने तीन पुत्र क्रमशः किसन दास, शिव चरण दास एवं रामकिसुन दास को पीछे छोड़ स्वर्गवासी हो गये। चिचाय दास के मरने के बाद उनके पुत्रों ने 8 कट्ठा भूमि का आपुसी बंटवारा कर लिया गया इस प्रकार प्रत्येक भाई के हिस्से में कुल 2 कट्ठा 13.1/4 धूर भूमि आई और वे अपने–अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक रूप से हकदार वो दखलकार हुए। स्व० चिचाय दास के पुत्र किसुन दास द्वारा रेस्पोण्डेन्ट संख्या–2 के हाथ 01 कट्ठा भूमि को बिक्री कर खरीदगी जमीन पर क्रेता को दखल दिला देना बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा निम्नन्यायालय में यह कथन किया गया है कि खेसरा 2551 का कुल रकबा केवल 14 कट्ठा 13 धूर है, यदि इसे सही माना जाय तो पुराना खेसरा संख्या 2551 में से चिचाय दास को 7 कट्ठा 6.1/2 धूर भूमि प्राप्त करते इसी प्रकार उनके भाई राम प्रसाद दास को भी 7 कट्ठा 6.1/2 धूर भूमि प्राप्त होती तब चिचाय दास के प्रत्येक पुत्र के हक एवं हिस्से में 1 कट्ठा से अधिक भूमि होती है। अतएवं किसन दास द्वारा अपने हक हिस्से के मुताबिक ही भूमि का बिकी किया गया है। इसलिए उक्त केवाला दस्तावेज सही एवं बैधानिक है यदि अपीलार्थी को केवल रेस्पोण्डेन्ट संख्या 2 के केवाला दस्तावेज पर ही आपत्ति थी, तो उन्हें सक्षम न्यायालय में टाईटिल सूट दायर करना चाहिए था बतलाते है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया पाया कि निम्न न्यायालय द्वारा मामले की विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायाचित आदेश पारित किया गया है। इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। अस्तु अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा